

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक हुक्म में
<u>14.6.19</u>	<p> वकील प्रार्थी उपा। प्र लिपित्री की तामिल से चुकी है। वकील प्रार्थी ने डा० प्रज लीकर दिने जाने हेतु निवेदन किया। डा० लीकर को डा० प्रज लीकर किया जाता है तहसीलदार निवाडे को 500 रुपय मौका कमिश्नर कीत पर मौका कमिश्नर निमुक्त किया जाता है तथा आदेश दिने जाते हैं कि वर्जित शूचि ख. नं० 2883, 2834, 28791, 2884, 2885 वाले ग्राम हरीपुरा का निमगनुता सीमा शान कर पहचानी करावे। पत्रावली फैलशुमाट डीकर तम्बर ले कर हो तथा दफ्तर दाखिल हो। </p>	

उपखण्ड अधिकारी
निवाडे